निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–07/2022
दायरा दिनांक :–07.11.2022
निर्णय दिनांक :– 28.02.2023

उनवान

श्रीमती कौशल्या बाई पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी काजीखेड़ा तहसील बारां जिला बारां राज0

–**प्रार्थीया**

बनाम

1. गणेश उर्फ ग्यानचन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी काजीखेड़ा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. विनोद पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी काजीखेड़ा तहसील बारां जिला बारां राज0

–**अप्रार्थीगण**

प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 बाबत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपति के संरक्षण हेतु

निर्णय दिनांक :– 28.02.2023

अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 बाबत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपति के संरक्षण हेतुन्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किप्रार्थिया एक 80 वर्ष आयु की वृद्ध महिला है। जो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आती है। अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थिया के पुत्र है। प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल जी का दिनांक 17.12.2016 को देहावसान हो गया है। बाबूलाल जी के जीवनकाल में बाबूलाल जी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी काजीखेड़ा की सेवा पूजा किया करते थे एवं मंदिर की आराजी को स्वयं काश्त कर/मुनाफा काश्त पर करवाकर प्राप्त आय से परिवार का जीविकोर्पाजन किया करते थे। उनकी मृत्यु के उपरान्त मंदिर की सेवा पूजा दोनों पुत्र अप्रार्थी कम 1 व 2 बारी–बारी से कर मंदिर की आराजी से प्राप्त आय से प्रर्थिया एवं अप्रार्थीगण का जीवन निवाह करते चले [illegible]।

अप्रार्थी क[illegible] ने अपनी [illegible] सेवा पूजाएं की और मंदिर की आराजी को मुनाफा काश्त से जुपाकर मुनाफा [illegible] प्राप्त आय का हिस्सा प्रार्थिया एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी कम 2 को नहीं दिया और अप्रार्थी कम 2 का उसकी बारी आने पर मंदिर की सेवा पूजा से भी वंचित कर दिया। अप्रार्थी कम 1 ने इस वर्ष मंदिर की आराजी से प्राप्त मुनाफा काश्त राशि 3,00,000/–रु अक्षरे तीन लाख रुपये प्राप्त करने के उपरान्त भी प्रार्थिया एवं अप्रार्थी कम 1 को मुनाफा काश्त राशि में उनके हिस्से की हिस्सा राशि का भुगतान नहीं किया। प्रार्थिया मुनाफा काश्त राशि के 1/3 हिस्सा राशि अप्रार्थी कम 1 से अपने जीवन निर्वाह हेतु करने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 मृतक बाबूलाल जी के द्वारा निर्मित मकान में निवास कर रहे है। अप्रार्थी कम 01 एवं उसकी पत्नी मीना प्रार्थिया के साथ दुर्वव्यवहार करते है एवं दोनों प्रार्थिया के साथ आये दिन मारपीट तक करते रहते है एवं प्रार्थिया से गाली–गलौच व अपशब्दों का प्रयोग किया करते है एवं कई बार प्रार्थिया क साथ धक्कामुक्की कर प्रार्थिया को घर से भगाने हेतु आमादा हुये। अप्रार्थी कम 2 के प्रयास से प्रार्थिया उक्त आवास में निवास कर रही है। अप्रार्थी कम 2 ही प्रार्थिया की हारी–बीमारी में अवेर–सवेर एवं देखभाल करता है। प्रार्थिया वृद्धावस्था में कई बिमारियों से ग्रसित है। अप्रार्थी कम 1 की पत्नी द्वारा की गई मारपीट से प्रार्थिया की आंख में चोट आयी, जिससे प्रार्थिया को एक आंख से दिखना बन्द हो गया एवं प्रार्थिया ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारी के चलते इस उम्र में किसी प्रकार का तनाव बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। एवं प्रार्थिया के पास अपने जीवन निर्वाह हेतु आय के कोई साधन भी विद्यमान नहीं है। अप्रार्थी कम 1 को प्रार्थिया ने अपने पास जमा पूंजी से ऑटो रिक्शा .दिलवाया था, उक्त ऑटो रिक्शा को चलाकर अप्रार्थी कम 1 लगभग 20,000/–रु प्रति माह प्राप्त करता है। अप्रार्थी कम 2 वर्तमान में बेरोजगार है। जिसके पास आय के कोई साधन विद्यमान नहीं है।

प्रार्थिया को अपने जीवन निर्वाह, भरण–पोषण एवं बीमारी के ईलाज हेतु 10,000/–रु प्रतिमाह की आवश्यकता है। उक्त राशि अप्रार्थीगण से प्रार्थिया को मासिक भरण पोषण एवं जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थिया के पास अपने पति के स्वामित्व के काजीखेड़ा में स्थित मकान के अलावा निवास करने का अन्य कोई परिसर नहीं है। प्रार्थिया के शान्तिपूर्ण निवास हेतु आवास व्यवस्था का सरक्षंण करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थिया जो कि वरिष्ठ नागरिक है, अपने जीवन एवं सम्पत्ति के सरंक्षण हेतु यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय में पेश कर रही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में आधारकार्ड, माफी मंदिर मुरली मनोहर जी के खाते की पास बुक की फोटोप्रति पेश की गई। फोटोप्रति आबादी भूमि विकय विलेख(पट्टा) की प्रति पेश की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वारॉ

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उप0 होकर राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बताया कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण ने वाके ग्राम काजीखेडा के पैत्रक आवासीय मकान एवं मंदिर मुरली मनोहर जी के खातेदारी की आराजी के विवाद था आपस मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार पैत्रक मकान 23×49.3 वर्गफुट का है। उक्त मकान का दक्षिणी हिस्सा 1/2 अप्रार्थी कम 1 व उत्तरी हिस्सा 1/2 अप्रार्थी कम 2 विनोद का रहेगा दोनों अप्रार्थीगण शामलाती खर्च पर मकान के मध्य दीवार निर्मित करवायेंगे, वाके माल काजीखेडा के खाता सं0 104 के खसरा नं0 57 रकबा 2.76 हे0, खाता सं0 102 के खसरा नं0 61 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 62 रकबा 1.53 हे0 कुल 4.44 हे0 माफी की आराजी कुल 27.15 बीघा में अप्रार्थी कम 2 विनोद को 10 बीघा आराजी तथा अप्रार्थी कम 1 गणेश उर्फ ज्ञानचन्द को 17.15 बीघा आराजी रहेगी। अप्रार्थी कम 1 गणेश उर्फ ज्ञानचन्द मंदिर के तेल भोग एवं मंदिर के खर्च का दायित्व रहेगा। उक्त आराजी को संयुक्त मुनाफा काश्त पर जुपवाने पर दोनों अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सा अनुसार मुनाफा राशि प्राप्त करेंगे। प्रार्थिया, अप्रार्थी कम 2 के साथ रहेगी। अप्रार्थी कम 2 विनोद ही प्रार्थिया का भरण पोषण करेगा। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण राजीनामा अनुसार उक्त कार्यवाही का अंतिम रूप से निस्तारण चाहते है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया है। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। ग्राम काजीखेड़ा तहसील बारां की आराजी कुल 27.15 बीघा में से 17.15 बीघा अप्रार्थी कम 1 गणेश उर्फ ज्ञानचन्द को तथा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी कम 2 विनोद के पास रहेगी। मंदिर की सेवा पूजा अप्रार्थी कम 1 गणेश उर्फ ज्ञानचन्द करेगा। मकान में से 1/2, 1/2 हिस्सा अप्रार्थी कम 1 व 2 का रहेगा मध्य में दीवार का खर्चा दोनों का रहेगा। प्रार्थिया को रखने एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी अप्रार्थी कम 2 की रहेगी।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner